<table>
<tr><th>आदेश की तिथि</th><th>हस्ताक्षरयुक्त आदेश</th><th>कार्यालय अभ्युक्ति</th></tr>
<tr><td>

10.07.2023</td><td>

वाद संख्या–30 / 2023

अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष की ओर से श्री सेठा सिंह, ग्राम–बारीचट्टान, पंचायत–कुचिला, प्रखण्ड–बरवाडीह, जिला–लातेहार Telephonic conference के माध्यम से उपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार व्यक्तिगत रूप से आयोग कार्यालय में उपस्थित।

शिकायतकर्ता श्री सेठा सिंह ने Telephonic conference के माध्यम से हो रही सुनवाई के दौरान बताया कि आयोग में शिकायत दर्ज होने के बाद उन्हें बकाया राशन उपलब्ध करा दिया गया है। सुनवाई के दौरान व्यक्तिगत रूप से उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार ने भी शिकायतकर्ता को राशन उपलब्ध करा दिये जाने की पुष्टि की है। गौरतलब है कि सुनवाई के दौरान आयोग के संज्ञान में यह बात सामने लाई गई कि शिकायतकर्ता के आधार को जब राशन कार्ड से लिंक किया गया तो यह बात संज्ञान में आई कि शिकायतकर्ता ने दो जगह से अपना राशन कार्ड बनवाया हुआ था। आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को निर्देश देता है कि अन्य जगह जहाँ से शिकायतकर्ता ने अब तक राशन का उठाव नहीं किया है, उस राशन कार्ड को रद्द कर दिया जाय और यदि पिछले 07 माह का बकाया राशन उपलब्ध कराये जाने के किसी माह में यदि शिकायतकर्ता ने दूसरे राशन कार्ड से किसी अन्य राशन दुकान से राशन का उठाव किया है तो शिकायतकर्ता से उस राशन की वसूली की जाय और यदि उठाव नहीं किया गया है तो फिलहाल जिस राशन दुकान से बकाया राशन उपलब्ध कराया गया है, वहाँ उन्हें नियमित तौर पर राशन उपलब्ध कराया जाय। ताकि भविष्य में शिकायतकर्ता राशन उपलब्ध न होने की शिकायत दर्ज न कराये। इस निर्देश के साथ आयोग इस वाद को निष्पादित करता है।

आदेश की प्रति उभयपक्ष को भेजें।

13.7.23
(शबनम परवीन)
सदस्य,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

(हिमांशु शेखर चौधरी)
अध्यक्ष,
राज्य खाद्य आयोग, राँची।

E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx83

</td><td></td></tr>
</table>